ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2231-5063

Golden Research Thoughts

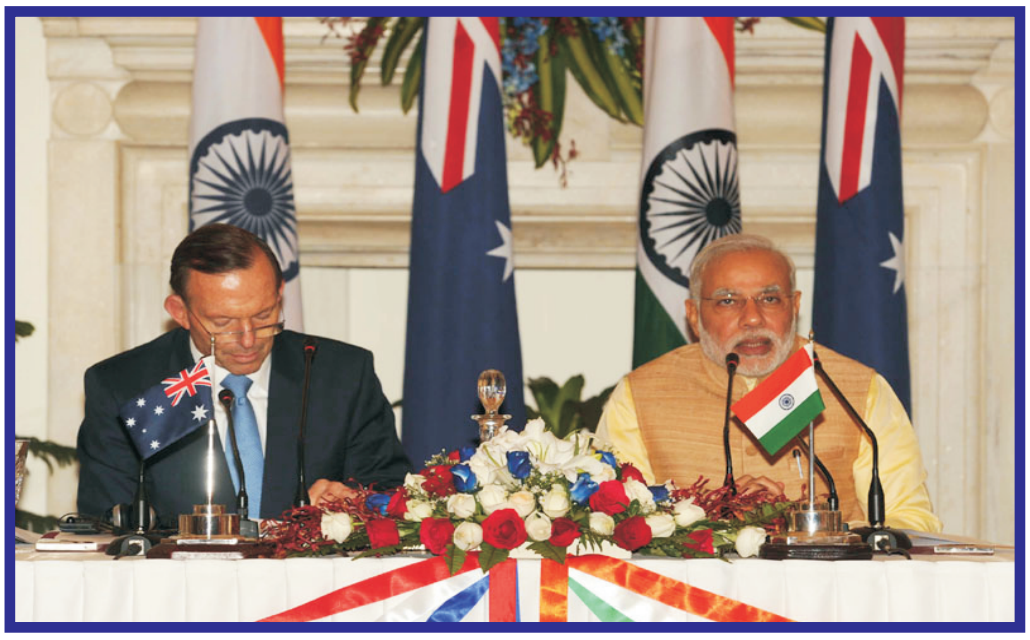

पी.वाय. मिश्र

सहायक प्राध्यापक , श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)

सारांश :

विदेश व्यापार का हमारी अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण स्थान है । इससे न केवल हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा ही प्राप्त होती है अपितु हमारे घरेलू बाजार के नियन्त्रण व संचालन में भी इससे योगदान प्राप्त होता है । विदेशी व्यापार के माध्यम से ही हम आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त कर आमजन तक उपलब्ध करा पाते हैं तथा इसी के माध्यम से हमारा उत्पाद विश्व के अन्य देशों तक पहूँच पाता है । आयात के द्वारा हमारी आन्तरिक मांग की प्रतिपूर्ति होती है व साथ ही अनेक प्रकार का ऐसा कच्चा माल भी प्राप्त होता है जिससे हमारी औद्योगिक इकाईयां अपना उत्पादन करती है, दूसरी ओर निर्यात के द्वारा हमारे उत्पादों का विपणन, वितरण, द्रुत रूप से संचालित होता रहता है । इन मूल लाभों के साथ ही विदेश व्यापार से हमारी वैश्विक मित्रता भी सुदृढ़ होती है ।

भारत के विदेश व्यापार अनुबंधों का समीक्षात्मक अध्ययन

प्रस्तावनाः—

विदेशी व्यापार की दिशा व संरचना के विकास में व्यापार अनुबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राजनैतिक स्तर पर दो या अधिक देशों के मध्य सम्पन्न इन समझौतो में आयात–निर्यात की मदें मूल्य नीति, भुगतान प्रणाली आदि पहले से निर्धारित कर ली जाती है । इस शोध आलेख में भारत द्वारा ऐशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों के साथ किये गये व्यापार अनुबंधों की समीक्षा की गई है ।

अध्ययन के उद्देश्य :—

(1) ऐशिया के विभिन्न अग्रणी देशों के साथ भारत की मित्रता को स्पष्ट करना ।
(2) विभिन्न व्यापारिक अनुबंधों के अनुच्छेदों की समीक्षा करना ।
(3) आयात व निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टी से व्यापारिक अनुबंधों की शर्तो को स्पष्ट करना ।
(4) विभिन्न देशों से हो रहे व्यापार के प्राथमिकता बिन्दुओं का निर्धारण करना ।
(5) विभिन्न व्यापारिक अनुबंधों की तुलनात्मक समीक्षा करना तथा
(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नवीन प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ।

अध्ययन विधि :—

व्यापार अनुबंधों की सटीक समीक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यापारिक अनुबंधों के प्रारूपों का संकलन किया गया है । इन अनुबंधों के उन तथ्यों को रेखांकित किया गया है जो भारत के हितों से जुड़े हुए हैं, साथ ही अनुबन्धों के उन प्रावधानों की भी समीक्षा की गई है जो भारत के निर्यातकों व आयातकों को जानना अतिआवश्यक है । अध्ययन को एशियाई देशों के साथ सम्पन्न व्यापारिक अनुबंधों तक सीमित रखा गया है ।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता :—

दक्षिण ऐशियाई देशों में आपसी सहयोग सहभागिता तथा समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से तथा इस क्षेत्र में परस्पर आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मई 1995में नई दिल्ली में सार्क देशों की बैठक के दौरान 'दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता' (South Asian Preferential Trading Agreement – SAPTA) अस्तित्व में आया । इसके तहत् सार्क देशों के बीच प्रारम्भ में 226 वस्तुओं के व्यापार पर 10 फीसदी से 100 फीसदी तक की रियायत प्रशुल्क दरें लगाने की व्यवस्था की गई है, जबकि सर्वाधिक 106 वस्तुओं पर रियायत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई । सार्क बैठक के दौरान सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों द्वारा 5–7 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित एक संधि के द्वारा 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि' (SAPTA) अस्तित्व में आया । इसके अन्तर्गत प्रशुल्कों को न्यूनतम दर पर लाकर गैर–प्रशुल्कीय बाधाओं को दूर किया जाना शामिल है ।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि के तहत् समस्त सदस्य देशों को संवेदनशील सूची में क्रमबद्ध तरीके से कमी लाने पर सहमति बनी है । मालदीव ने अपनी संवेदनशील सूची में 681 प्रशुल्क लाईनों (Tariff Lines) को 78 प्रतिशत कम करनके 152 प्रशुल्क लाईनों पर ले आया गया है । भारत द्वारा क्षेत्र के अल्पविकसित देशों (LCD) के लिये संवेदनशील सूची की 480 प्रशुल्क लाईनों को 95 प्रतिशत कम करके 25 प्रशुल्क लाईनों के स्तर पर ले अया गया है । संवेदनशील सूची में 20 प्रतिशत की कमी कर दिए जाने के बाद आच्छादित उत्पादों की देश वार संख्या निम्नलिखत प्रकार है :—

देश	अल्पविकसित देशों के लिये **(LDD)**	अन्य देशों के लिये
नेपाल	998	1036
भारत	25	695
बांग्लादेश	987	993
भूटान	150	840
श्रीलंका	845	845
पाकिस्तान	936	710
मालदीव	152	613
अफगानिस्तान	850	650

बिमस्टेक :—

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों भारत–बाग्लादेश–श्रीलंका तथा थाईलैण्ड ने आपस में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जून 1997 में बैंकाक में 'बाग्लादेश – इण्डिया – श्रीलंका – थाईलैण्ड – इकोनामिक कोऑपरेशन' की स्थापना की गई । बाद में दिसम्बर 1999 में म्यांमार तथा 6 फरवरी 2004 को इसमें नेपाल व भूटान को भी शामिल करने से इसकी सदस्य संख्या 7 हो गई और अब यह 'BIMSTEC' के नाम से जाना जाता है । प्रारम्भ

में इसके सदस्य देशों के बीच 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रति सहमति बनी, मगर अगस्त 2006 में नई दिल्ली में आयोजित उत्तस्तरीय सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की संख्या बढाकर 13 कर दी गई ।

भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौता :–

भारत तथा आसियान देशों के बीच 'मुक्त व्यापार समझौता' (Free Trade Agreement) भारत के आर्थिक तथा भूराजनैतिक हितों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है । 12 अगस्त 2009 को बैंकॉक में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समझौते में से एक है, भारत के आयातों में आसियान का हिस्सा वर्ष 2010–11 में 8.3 प्रतिशत तथा निर्यातों में 10.9 प्रतिशत है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसी भी अन्य देश अथवा क्षेत्र की तुलना में आसियान देशों को अपेक्षाकृत अधिक व्यापारिक रियायतें दे रखी है । दुनियाभर में यही अनुभव रहा है कि क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों का समग्र रूप से बहुआयामी समारात्मक प्रभाव पड़ता है, यद्यपी इस समझौते को लेकर दक्षिणी भारत के किसानों का विरोध देखना पड़ा, विशेषकर चाय, कॉफी, काजू, नारियल, रबर, मसाले इत्यादि बागान से जुड़े किसानों के हितों पर दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना व्यक्त की गई । (इसके लिए विदेशी उत्पादों पर भारी कर रियायतों को जिम्मेदार ठहराया गया), मगर कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाने के कारण यह प्रभाव अधिक नहीं देखा गया । इसके अलावा 489 वस्तुओं की नकारात्मक सूची भी बनाई गई जिनमें से किसी भी प्रकार की कर रियायतें का कटौती नहीं की जाएगी । 1 जनवरी 2010 में लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में काफी तेजी देखने को मिली । भारत आसियान संयुक्त व्यापार, जो वर्ष 2000–01 में महज 7 अरब डॉलर था । वह वर्ष 2008–09 में 40 अरब डॉलर तथा इस समझौते के अल्प समयांतराल में वर्ष 2011 में 80 अरब डॉलर से अधिक पहुँच गया है । जिसके 2015 तक 100 अरब डॉलर तक पहूँचने की आशा है । भारत – आसियान मुक्त व्यापार समझौते के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है :–

(1) चाय, कॉफी, काजू, रबर, नारियल, काली मिर्च तथा मसाले इत्यादि कृषि उत्पादों को संवेदनशील उत्पादों की सूची में रखा गया है जिन पर आयात शुल्क में कटौती के लिए वर्ष 2019 तक का समय रखा गया है ।
(2) 489 उत्पादों (कृषि, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, रसायन, मशीनरी, एवं कुछ प्रसंस्कृत उत्पाद) को नकारात्मक सूची में रखा गया है अर्थात उन्हें इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है । (यानि इन्हें कोई कर रियायतें नहीं दी जाएगी)
(3) 4000 उत्पादों से वर्ष 2016 तक आयात कर की समाप्ति ।
(4) वर्ष 2013 तक 2300 वस्तुओं से आयात कर हटाना ।
(5) वर्ष 2016 तक अन्य 880 उत्पादों पर धीरे–धीरे आयात शुल्क घटाकर शून्य करना ।

भारत–जापान मुक्त व्यापार समझौता :–

द्विपक्षीय व्यापार को गतिशीलता प्रदान करने तथा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की संकल्पना पर चलकर आर्थिक सहयोग तथा सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत तथा जापान के बीच 'मुक्त व्यापार संधि' अस्तित्व में आई, जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है । इसे 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' का नाम दिया गया है । इस समझौते के समय भारत–जापान का द्विपक्षीय सालाना व्यापार जहॉ 14.70 अरब डॉलर था, जो अब 18 अरब डॉलर तक पहुँच गया है तथा वर्ष 2014–15 में इसके 25 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है । इस समझौते से दोनों देशों के निजी तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों में व्यापार, निवेश तथा अन्य आर्थिक मामलों में गतिशीलता बढ़ी है । गौरतलब है कि जापान भारत में निवेश करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है ।

वर्ष 2021 तक दोनों देशों के बीच व्यापार वाले 66.32 प्रतिशत उत्पादों पर से आयात शुल्क समाप्त करने की सहमति बनी है । जापान की वर्जित सूची में चावल, गेहूँ, तेल, दूध, चीनी, चमड़ा तथा चमड़े से बने उत्पाद शामिल है । जापान सरकार दवा पंजीकरण के क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों को लाईसेंस जारी करने में अपने देश के कारोबारियों की तरह ही वरीयता देगी । सूचना, संचार तथा सेवा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियॉ बढ़ेगी । इस संधि के भाग के रूप में लेखा परीक्षण अनुसंधान एवं विकास सेवा, टूरिस्ट गाइड, बाजार अनुसंधान तथा मैनेजमेन्ट परामर्श से जुड़े अनुबंध सेवा प्रदाता तथा स्वतन्त्र पेशेवर जापान में सेवा प्रदान कर सकेंगे ।

भारत–दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता :–

भारत तथा दक्षिण कोरिया ने आर्थिक कूटनीति के मंच पर ऐतिहासिक पहल करते हुए 7 अगस्त, 2009 को सिओल में 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते' पर हस्ताक्षर किए । इस समझौते के तहत् दोनों पक्ष 'टैरिफ' (व्यापार शुल्क) कम करेंगे तथा सहयोग–समन्वय तथा सहभागिता का व्यवहार करेंगे । इस संधि के बाद भारतीय सेवा क्षेत्र को सीधे अथा आउटसोर्सिंग के जरिए कोरिया में घुसने का मौका मिला है, तो कोरियाई विनिर्माण कम्पनियों को भारतीय बुनियादी व तकनीकी निर्माण के क्षेत्र में लाभ मिला है । अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो भारत–दक्षिण कोरिया के बीच 2004–05 में द्विपक्षीय व्यापार 4.6 बिलियन डॉलर, 2007–08 में 8.9 बिलियन डॉलर, 2008–09 में 10.5 बिलियन डॉलर तथा वर्तमान में लगभग 18 अरब डॉलर तक पहुँच गया है ।

भारत– मलेशिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता :–

द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के इतिहास में नई इबारत लिखते हुए भारत तथा मलेशिया ने 27 अक्टूबर, 2010 को औपचारिक तौर पर 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता' की औपचारिक घोषणा की । इस समझौते का मुख्य उद्देश्य

वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में कर रियायतों को न्यूनतम स्तर पर लाकर मुक्त व्यापार की द्विपक्षीय संकल्पना को व्यावहारिक आधार प्रदान करना था । दोनों देशों के बीच पहले से ही विभिन्न वस्तुओ का नियमन व्यापार होता आया है । मगर समझौते के बाद पर्याप्त ढाँचागत विकास, विनिर्माण, आई.टी., टेक्सटाईल, टेलीकॉम तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग व समन्वय बढ़ा है । वर्ष 2007–08 में भारत मलेशिया साझा व्यापार जहां 9.8 बिलियन डॉलर का था वह वर्ष 2011–12 में 14 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुॅच गया ।

भारत के अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौते :–

(1) वर्ष 1972 में भारत व भूटान के बीच व्यापार संधि हुई थी जिसमें संशोधन करते हुए जुलाई 2006 में भारत–भूटान व्यापार तथा वाणिज्य समझौता बनाया गया ।
(2) भारत व मालदीप के बीच भारत–मालदीप व्यापार समझौता अप्रैल 1981 से लागू है ।
(3) वर्ष 1992 से भारत–नेपाल के बीच व्यापार संधि हुई थी । जिसकी अवधि मार्च 2007 तक निर्धारित की गई थी । जिस अब बढ़ा दिया गया है ।
(4) भारत व थाईलैण्ड के बीच अक्टूबर 2003 में बैंकाक में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गये थे । इसमें उत्पादन सेवाए तथा निवेश तीनों को शामिल किया गया है ।
(5)वर्ष 2005 में भारत व सिंगापुर के बीच 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए गए । समझौते में वस्तुओं तथा सेवाओं, निवेश, संरक्षण तथा शिक्षा, बौद्धिक परिसम्पत्ति एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की व्यवस्था निहित है । सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और भारत में दूसरा बड़ा निवेशक है ।

उपसंहार :–

स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भारत न केवल अपने पडौसी देशों से मित्रता को ही सुदृढ कर रहा है अपितु व्यापारिक गतिविधियों को भी मजबूत बना रहा है । विभिन्न व्यापारिक अनुबंध इस दृष्टि से से संतोषजनक कहे जा सकते है कि इनमें भारतीय व्यापारिक हितों को पूर्णतया संरक्षित किया गया है ।

संदर्भ सूची :–

1.उद्योग व्यापार पत्रिका, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 2014 ।
2.फॉरेन ट्रेड बुलेटिन, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली, 2013 ।
3.रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बुलेटिन, 2014 ।
4.योजना पत्रिका, कलकत्ता, 2014 ।
5.इकॉनामिक टाइम्स, मुम्बई विभिन्न अंक ।
6.प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, 2013 ।
7.इकॉनामिक एण्ड पोलिटिकल विकली, मुम्बई, 2014 ।